भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2438

सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण 1948 (शक)

नई श्रम संहिता का कार्यान्वयन

2438. **श्री तनुज पुनिया:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश में नए श्रम नियमों को एक साथ कार्यान्वित करने की वर्तमान स्थिति क्या है और इस हेतु अपने-अपने नियम अधिसूचित करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है;

(ख) नई श्रम संहिता के अंतर्गत प्रस्तावित वेतन नियमों का संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के टेक-होम वेतन और भविष्य निधि पर संभावित प्रभाव क्या है; और

(ग) क्या किसी उद्योग निकाय या व्यापार संगठन ने वेतन नियमों को लेकर चिंता जताई है और यदि हाँ, तो सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग)**:** भारत सरकार ने दिनांक 21 नवम्बर, 2025 को चार श्रम संहिताओं, अर्थात् मजदूरी संहिता, 2019**,** औद्योगिक संबंध संहिता, 2020**,** सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 तथा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-दशाएं (ओएसएच एवं डब्ल्यूसी) संहिता, 2020 को लागू कर दिया है।

चूंकि 'श्रम' समवर्ती सूची का विषय है, अतः राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा भी श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियम बनाए जाने अपेक्षित है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियमों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है अथवा उनका प्रकाशन/पूर्व-प्रकाशन किया जा चुका है तथा कुछ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में भी इन नियमों का पूर्व-प्रकाशन अथवा उन्हें अंतिम रूप प्रदान किया जाना प्रक्रियाधीन हैं।

चारों श्रम संहिताओं में असंगठित कामगारों सहित सभी कामगारों को सांविधिक न्यनूतम मजदूरी और उसके समय पर भुगतान, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा और कामगारों के स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में उपलब्ध सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और कार्यबल के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, ये संहिताएँ परिभाषाओं और प्राधिकारियों की बहुलता को कम करती हैं, श्रम कानूनों के प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुगम बनाती हैं, प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाती हैं जिससे अधिक उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास, श्रम कल्याण तथा गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा।

मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम 2026 सहित चारों श्रम संहिताओं के अंतर्गत केंद्रीय नियमों को सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के पश्चात् दिनांक 8 मई, 2026 को अधिसूचित किया गया था। केंद्रीय नियमों को अधिसूचित करने से पहले हितधारकों द्वारा उठाए गए विचारों/चिंताओं पर विचार किया गया था।
